रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2012/अग्रहायण 27, 1934
No. 639] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2012/AGRAHAYANA 27, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 900(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 की उप-धारा (2) के खंड (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 के नियम 36 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"36. क—धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किस्म के बीजों के उत्पादन और बिक्री का प्रबंध करने की रीति—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत किस्म के बीजों का उत्पादन, विपणन और बिक्री करने का हकदार अभिजनक या अन्य व्यक्ति :—

(क) रजिस्ट्रीकृत किस्म की सामग्री के बीज या प्रचार सामग्री कृषकों को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराएगा जिससे उनकी समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके; या

(ख) ऐसी रजिस्ट्रीकृत किस्म की सामग्री के उत्पादन, विपणन और बीजों की बिक्री या प्रचार सामग्री कृषकों को समुचित कीमत पर उपलब्ध कराने का प्रबंध करेगा"।

[फा. सं. 1-16/2012-एस.डी. V]

डॉ. अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 738(अ) तारीख 12 सितम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 843(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2004, सा.का.नि. 731(अ) तारीख 14 अक्तूबर, 2008, सा.का.नि. 319(अ) तारीख 11 मई, 2009, सा.का.नि. 783(अ) तारीख 27 अक्तूबर, 2009, सा.का.नि. 901(अ) तारीख 17 दिसम्बर, 2009 और सा.का.नि. 949(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2010 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2012

G.S.R. 900(E).—In exercise of the powers conferred by clause (vii) of sub-section 2 of section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001) the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003 namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Second Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, after rule 36, the following rule shall be inserted namely :—

"36A Manner for arranging production and sale of seeds of registered variety under clause (e) of sub-section 2 of section 8—(1) The breeder of a registered variety or any person entitled to produce, market and sell the seeds of a registered variety under this Act shall :—

(a) provide the seeds or propagating material of the registered variety to the farmers in a timely manner, so as to satisfy their reasonable requirements; or

(b) arrange for production, marketing and sale of seeds or propagating material of such registered variety to the farmers at a reasonable market price".

[F. No. 1-16/2012-SD. V]

Dr. ATANU PURKAYASTHA, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) by G.S.R. 738(E), dated the 12th September, 2003 and subsequently amended by G.S.R. 843(E), dated the 30th December, 2004, G.S.R. 731(E), dated the 14th October, 2008, G.S.R. 319(E), dated the 11th May, 2009, G.S.R. 783(E), dated the 27th October, 2009, G.S.R. 901(E), dated the 17th December, 2009 and G.S.R. 949(E), dated the 3rd December, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.